UPJB010023452026

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश**
**(एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।**
**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–594/2026**

1. शिवम पुत्र उदल सिंह
2. जितेन्द्र पुत्र मलखान सिंह
3. रीनू पुत्र बलवंत सिंह

निवासीगण ग्राम रहदरा, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा ।

**.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।**

**बनाम**

**उ0प्र0 सरकार** **.....अभियोगी।**

## आदेश

**दिनांकः–03.06.2026**

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण **शिवम, जितेन्द्र एवं रीनू** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **एस.टी.नम्बर–08/2026**, **अपराध संख्या– 279/2025, धारा–115(2), 352, 351(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. व 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में विजेंद्र यादव द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आज दिनांक 02/06/2025 मेरे गांव से ग्राम रहदरा थाना गजरौला जनपद अमरोहा के रहने वाले रामगोपाल के यहां बारात लेकर गये थे शाम करीब 5:30 बजे जैसे हम बारात चढ़ा रहे थे तभी उसी गांव के रहने वाले निपेन्द्र , विवेक , शिवम , गोलू , निशांत, जितेंद्र, काकी तथा 15 20 अज्ञात लोग जो की यादव जाति हैं इनके साथ गोपी भी था जबरदस्ती बारात में घुस आए और नाचने लगे हम बारात के लोगों ने इसका विरोध किया तो उपरोक्त सभी लोगों ने चमार, चमट्टे कहते हुए जाति सूचक शब्दों को कहा और लाठी, डंडों, सरियों, चाकू व धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिसमें मेरे सिर में खुली चोट तथा अन्य कई छोटे आई मेरे अलावा रोहित की बाह में गंभीर चोटे आई सनी के कमर में चाकू से मारने की चोट, अभिषेक पेट में चाकू से मारने की चोट, गुड्डू के कान से खून निकल आया बोनी की टांगों में गंभीर चोट तथा 15 से 20 छोटे–बड़े लोगों के गंभीर चोट आई है उपरोक्त लोग ऐलानियों कह रहे थे कि अगर किसी चमार चमट्टे ने बारात चढ़ाने की सोची तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वादी की उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाने पर अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 190, 191(2), 109 बी.एन.एस. एवं 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 352,190, 191(2) बी.एन.एस. एवं 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन व झूठा फसाया गया है। प्रार्थी ने इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गाली गलोच नहीं की तथा जान से मारने की धमकी भी नहीं दी तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थीगण को विवेचना के दौरान धारा 35 बी०एन०एस०एस० के मुचलके पर रिहा किया गया है

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.03 16:56:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा प्रार्थीगण ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे। प्रार्थीगण अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगे। जमानत की याचना करते है।

05. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में बल्वा कारित किया तथा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

06. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

07. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर विधि विरूद्ध जमाव करते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में बल्वा कारित करने तथा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध कारित करने का अभियोग है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी धाराए सात वर्ष तक की सजा की अवधि से दण्डनीय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) का नोटिस तामील कराकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रस्तुत मामलें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मामलें में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का कोई उल्लघन नहीं किया गया है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। उपरोक्त समस्त परिस्थितयों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदकगण/अभियुक्तगण **शिवम, जितेन्द्र एवं रीनू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है–

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों/शिकायतकर्ता को डरायेगें, धमकायेगें नहीं, न्यायालय के आदेशों का पालन करेगें, विचारण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगें तथा विचारण में सहयोग करेगें।

02– जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगें और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगें न ही कोई आपराधिक कृत्य करेगें।

**दिनांक–03.06.2026**

**(शैलजा राठी)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
अमरोहा।